

कार्यालय, अंचल अधिकारी, अड़की खूँटी।

आदेश फलक

जिला:- वाद सं०:- 451 T.R / 2020-21 सन्

विषय:- भूमि बन्दोवस्ती नियमितकरण करने के संबंध में।

| | | |
|-------------------------|--------------------------------|---------------|
| आदेश का क०सं० एवं तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आ. व. कार. ब. |
|-------------------------|--------------------------------|---------------|

30/07/2020

जमाबंदीदार श्री/ श्रीमती श्रीमती लोखा पिता/पति लखन लोखा
 मौजा मोकोहास थाना-अड़की, जिला खूँटी के नाम से पंजी -ii पृष्ठ संख्या-
 में दर्ज है। उक्त भूमि बन्दोवस्ती वाद सं०- 10 / 88-89 के आधार पर दर्ज है। जमाबंदीदार सुयोग्य श्रेणी के अनुभववादि के सदस्य है एवं भूमिहीन है। कायम जमाबंदी संदिग्ध है।

भूमि की विवरणी:-

| मौजा | थाना नं० | खाता नं० | प्लॉट सं० | रकबा |
|----------------|------------|-----------|------------|------------------|
| <u>मोकोहास</u> | <u>289</u> | <u>51</u> | <u>513</u> | <u>1.00 एकड़</u> |

सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-06/भूमि का नियमितीकरण-89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें, पुनः अभिलेख दिनांक:- 06/08/2020 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी
अड़की।

06/08/2020

अभिलेख उपस्थापित किया गया।/संबंधित राजस्व उप निरीक्षक का स्थल जाँच/ भौतिक सत्यापन/ दखल-कब्जा संबंधी प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ है तथा सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक:-06/ भूमि नियमितिकरण-89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार भूमि के नियमितिकरण हेतु अनुशंसा किये है।

अतः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के स्थल जाँच/भौतिक सत्यापनोपरान्त/दखल-कब्जा एवं अनुशंसा के आधार पर जमाबंदीदार श्री/श्रीमती.....
पिता/पति मौजा-.....थाना-अड़की,
जिला-खूँटी के नाम से मौजा-.....थाना नं०.....खाता सं०.....
प्लॉट सं०.....रकबा-.....लगान रूपये अलावे शेष पर भूमि बन्दोबस्ती को नियमितिकरण की स्वीकृति दी जाती है।

तदनुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि पंजी-II में तदनुरूप ऑनलाईन प्रविष्टि करेंगे।

अंचल अधिकारी,
अड़की।

अभिलेख उपस्थापित किया गया। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा मौजा-.....
थाना नं०.....के पंजी- II भौलुम (VOL-.....) के पृष्ठ संख्या-.....
पर ऑनलाईन प्रविष्टि कर आवश्यक सुधार कर लिया गया है।

अतः अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।
अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

अंचल अधिकारी,
अड़की।